भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या **- 2153**

दिनांक **31.07.2026** को उत्तर दिए जाने के लिए

जमुई में पासपोर्ट सेवा केंद्र

2153. श्री अरुण भारतीः

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले वर्ष के दौरान निकटतम पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) के माध्यम से जमुई के निवासियों को जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या कितनी है;

(ख) जिले के नागरिकों के लिए आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) विदेश में फंसे जिले के प्रवासी श्रमिकों के परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या उपाय मौजूद हैं;

(घ) संभावित विदेशी प्रवासी श्रमिकों के लिए कौशल विकास कार्यशालाएं आयोजित करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं;

(ङ) इस क्षेत्र में 'प्रवासी भारतीय' पहुँच कार्यक्रम की क्या स्थिति है;

(च) क्या समय पर पुलिस सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा राज्य पुलिस के साथ समन्वय किया जाता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) जिला मुख्यालय में एक पासपोर्ट सेवा लघु केंद्र स्थापित करने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह**)**

(क) वर्ष 2025 और 2026 (दिनांक 21.07.2026 तक) के दौरान डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) जमुई से जमुई जिले के आवेदकों को जारी किए गए कुल पासपोर्ट की संख्या क्रमशः 2555 और 1838 है।

(ख) मंत्रालय ने देश में बेहतर और सुचारू पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए, जिसमें बिहार के जमुई जिले में रहने वाले आवेदक भी शामिल हैं, कई कदम उठाए हैं। उन्नत पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (पीएसपी वी2.0) **ने** आवेदकों के लिए

सटीकता, पारदर्शिता और सुविधा में सुधार हेतु कई नवोन्मेषी संवर्द्धनों के साथ एक डिजिटल रूप से सक्षम पासपोर्ट पारिस्थितिकी तंत्र प्रस्तुत किया है। इस प्लेटफ़ॉर्म ने पहचान सत्यापन को मजबूत करने और प्रसंस्करण को गति देने के लिए चेहरे की पहचान और बायोमेट्रिक मिलान को शामिल किया है। पीएसपी वी2.0 एसएमएस/ईमेल अलर्ट, डेटा एनालिटिक्स और रिपोर्ट जनरेशन सहित उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाता है। प्रक्रिया स्वचालन जालसाजी को रोकने, मैनुअल त्रुटियों को कम करने और परिचालन लागत को कम करने के लिए दस्तावेज़ सत्यापन का समर्थन करता है। पीएसपी वी2.0 के तहत पेश किए गए नए डिजिटल उपकरणों ने प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाकर पासपोर्ट आवेदन और शिकायत-निपटान के अनुभव में काफी सुधार किया है। इसके अलावा, जून 2018 में विदेश मंत्रालय ने "भारत में कहीं से भी आवेदन करें" योजना शुरू की थी, जिसके तहत भारत में किसी भी पीएसके/पीओपीएसके में पासपोर्ट के लिए आवेदन किया जा सकता है। साथ ही, विदेश मंत्रालय ग्रामीण, आदिवासी, दूरदराज और अल्पसेवित क्षेत्रों में ऑन-साइट पासपोर्ट प्रसंस्करण के लिए संबंधित आरपीओ के तहत पासपोर्ट मोबाइल वैन तैनात करता है।

(ग) भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा और संरक्षा भारत सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों सहित भारतीय नागरिकों के कल्याण के लिए प्रवासी भारतीय बीमा योजना **(**पीबीबीवाई**),** प्रस्थान से पूर्व अभिविन्यास प्रशिक्षण **(**पीडीओटी**)** सहित विभिन्न कल्याणकारी पहलें शुरू की गई हैं। भारतीय मिशन/केंद्र भारतीय समुदाय कल्याण कोष **(**आईसीडब्ल्यूएफ**)** का उपयोग समय-समय पर विदेश में संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों को साधन-परीक्षण के आधार पर वित्तीय और विधिक सहायता प्रदान करने हेतु करते हैं। भारतीय प्रवासी सदस्यों की शिकायतों का जवाब टेलीफोन कॉल, वॉक-इन, ईमेल, सोशल मीडिया, 24x7 आपातकालीन हेल्पलाइन, कोंसली कैंप, ओपन हाउस, मदद पोर्टल और सीपीग्राम्स के माध्यम से दिया जाता है। विदेशों में भारतीय श्रमिकों को प्रत्यक्ष सहायता और परामर्श प्रदान करने के लिए, नई दिल्ली, दुबई, रियाद, जेद्दा, लंदन और कुआलालंपुर जैसे प्रमुख स्थानों पर प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र **(**पीबीएसके**)** स्थापित किए गए हैं। प्रवासी श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा तथा वैध प्रवासन के लिए मजबूत संरचना स्थापित करने और अनियमित प्रवासन को रोकने के लिए भागीदार देशों के साथ प्रवासन और आवाजाही सहभागिता करार **(**एमएमपीए**),** श्रम गतिशीलता और श्रम कल्याण करार जैसे समझौता ज्ञापनों/करारों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

(घ) पीडीओटी कार्यक्रमों का उद्देश्य प्रवासी भारतीय श्रमिकों की सांस्कृतिक, भाषाई, पारंपरिक और गंतव्य देश के स्थानीय नियमों और विनियमों के संदर्भ में, मुख्य रूप से खाड़ी क्षेत्र और मलेशिया में काम करने के लिए जाने वाले श्रमिकों के सॉफ्ट कौशल को बढ़ाना है। एक दिवसीय पीडीओटी प्रशिक्षण प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षित और वैध प्रवासन के मार्गों तथा उनके कल्याण और सुरक्षा के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के बारे में भी जागरूक बनाता है।

देश भर में पीडीओटी पाठ्यक्रम सामग्री को मानकीकृत किया गया है। मुख्य प्रशिक्षकों के लिए सात भाषाओं अर्थात हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, मलयालम, पंजाबी, तमिल और तेलुगु में व्यापक पीडीओटी मैनुअल तैयार किए गए हैं। इसके अलावा, मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए यूएई, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, कतर, बहरीन, ईरान, मॉरीशस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, पुर्तगाल और इटली से संबंधित 13 देश विशिष्ट पुस्तिकाएं संकलित की हैं। मंत्रालय ने पीडीओटी केंद्रों से दूर रहने वाले संभावित प्रवासियों तक पहुंचने हेतु अप्रैल 2021 में ऑनलाइन पीडीओटी की शुरूआत की। दिनांक 31 मई 2026 तक, 2,48,818 संभावित प्रवासियों को पीडीओटी प्रशिक्षण दिया गया है।

(ङ) विदेश मंत्रालय प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ विशिष्ट योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से समग्र रूप से जुड़ने का प्रयास करता है। मंत्रालय द्विवार्षिक रूप से भारत में प्रवासी भारतीय दिवस **(**पीबीडी**)** का आयोजन करता है जब वह पूरे विश्व के भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों को आमंत्रित करता है। मंत्रालय भारतीय प्रवासियों की युवा पीढ़ी के साथ जुड़ने के लिए भारत को जानो कार्यक्रम भी आयोजित करता है जिसमें एनआरआई और पीआईओ दोनों शामिल हैं, भारत में दो आयु-आधारित श्रेणियों के लिए दो सप्ताह के कार्यक्रम के माध्यम से, उन्हें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और समकालीन उपलब्धियों का अनुभव कराते हुए, अपनी जड़ों से फिर से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। इसके अलावा, यह मंत्रालय प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना (एसपीडीसी) के तहत भारतीय प्रवासियों के बच्चों को 150 छात्रवृत्तियां प्रदान करता है, ताकि भारतीय शैक्षणिक संस्थानों के स्नातक पाठ्यक्रमों में उनकी शैक्षणिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाया जा सके। यह मंत्रालय विदेशों में रहने वाले विशाल और विविध भारतीय प्रवासियों को उनकी भारतीय सांस्कृतिक विरासत और पहचान की रक्षा और बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेशों में कार्यक्रमों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

(च) पुलिस सत्यापन पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग रहा है। जनवरी 2016 में, मंत्रालय ने पुलिस सत्यापन करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस कर्मियों द्वारा उपयोग हेतु एंड्रॉयड/आईओएस के लिए **'**पासपोर्ट सेवा पुलिस ऐप**' (**पूर्ववर्ती एमपासपोर्ट पुलिस ऐप**)** की शुरुआत की, जिसने उन्हें पुलिस स्टेशन से ही डिजिटल रूप से

पीवीआर को तेजी से प्रस्तुत करने में सक्षम बनाया। पूरे देश में, 25 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने 9444 से अधिक पुलिस स्टेशनों में पहले ही पासपोर्ट पुलिस सेवा ऐप की शुरुआत कर दी है।

(छ) बिहार में जमुई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के जमुई जिले में एक पीओपीएसके पहले से ही कार्यरत है और वर्तमान में, जमुई के जिला मुख्यालय में पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना के लिए विदेश मंत्रालय के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।
